

श्रीमान् पत्रावली पेश हुई। वकील उमरफत अनुपस्थित  
है वकील उमरफत की सूत्र-2 का भावार्थ  
लगाये गयी। हाजिर नहीं हो लिहाजा-पक्षिका  
-पर वकील उमरफत की अनुपस्थिति आहूत  
धरणी-आहूत पेश में खारिज किया जाता है।  
तथा नजालत काय जाये अहवार्थ निषेधाका  
दिनांक 10.04.2018 को निरस्त किया जाता  
है। पत्रावली फौजली में शुद्ध होकर  
मूल पास लौलक रहे।

उपखण्ड अधिकारी  
रायसिंहनगर

